कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) रायपुर (छ0ग0)

// ज्ञापन //

क्रमांक / 644 / का0से0 / अ0वि0अ0 / 24 रायपुर, दिनांक 16 / 08 / 2024

प्रति,

मे. ए.एस. हाउसिंग कंपनी
भागीदार श्री जगजीत सिंह भाटिया
पिता श्री आर.पी. एस. भाटिया
पता– बी–2, पंकज विक्रम परिसर, कटोरा तालाब रायपुर

विषय– कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र बाबत ।

संदर्भ– आपका आवेदन दिनांक 02.01.2024

– 0 –

कृपया उपरोक्त विषयांर्तगत आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित संदर्भित आवेदन दिनांक 02.01.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें । संदर्भित आवेदन के तारतम्य में कार्यालय कलेक्टर रायपुर के आदेश क्रमांक 807 / वाचक / कले0 / 18 रायपुर दिनांक 06.03. 2018 के द्वारा कालोनी का विकास कार्य (आंतरिक एवं बाह्य विकास) पूर्ण होने के संबंध में स्थल निरीक्षण कर नियमानुसार प्रतिवेदन देने हेतु गठित कमेटी को कालोनी विकास हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र देने बाबत इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.03.2024 को पत्र जारी किया गया था ।

2– आवेदक मे. ए.एस. हाउसिंग कंपनी भागीदार श्री जगजीत सिंह भाटिया पिता श्री आर.पी. एस. भाटिया पता– बी–2, पंकज विक्रम परिसर, कटोरा तालाब रायपुर को सेजबहार पिरदा प.ह.नं. 82 तहसील व जिला रायपुर स्थित भूमि कुल रकबा 16.703 हें0 पर आवासीय कालोनी के विकास की अनुमति क्रमांक– 13 अ / 89 (अ) वर्ष 2016–17 दिनांक 07.07.2027 को प्रदान की गई थी ।

3– आपके द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर उक्त कंडिका– एक अनुसार स्थल निरीक्षण जांचकर मानको के अनुरूप प्रतिवेदन देने हेतु कमेटी को पत्र जारी किया गया था । कमेटी द्वारा कालोनी पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 03.06.2024 प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके अनुसार आवेदक मे. ए.एस. हाउसिंग कंपनी भागीदार श्री जगजीत सिंह भाटिया पता– बी–2, पंकज विक्रम परिसर, कटोरा तालाब रायपुर द्वारा ग्राम सेजबहार में विकसित कालोनी में सुविधा / विकास / निर्माण मानको के अनुसार प्रतिवेदित किया गया है।

4–कलेक्टर रायपुर के आदेश क्रमांक 807 / वाचक / कले0 / 18 रायपुर दिनांक 06.03.2018 के अनुसार मानकों के अनुरूप कालोनी के विकास कार्य पूर्ण होने के संबंध में गठित कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण पश्चात प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त कालोनी का विकास कार्य पूर्ण होने के कारण कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन प्रदाय किया जाता हैं–

(अ) आवेदक द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर या निम्न आय वर्ग के लिए सुरक्षित / आरक्षित रखी गई भूमि को किसी भी दशा में किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा ।

(ब) कंडिका "अ" अनुसार सुरक्षित / आरक्षित रखी गई भूमि को किसी भी दशा में किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जावेगा ।

(स) भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर आप (कालोनाईजर) स्वयं जवाबदार होगें एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र स्वमेंव निरस्त हो जावेगी ।

छ0ग0 ग्राम पंचायत (कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते) नियम–1999 के नियम–12 (चार) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी दिनांक 16/08/2024 से उपरोक्त कालोनी के रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत सेजबहार विकासखंड धरसीवां को अंतरित किया जाता हैं।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
रायपुर (छ0ग0)

अनुविभागीय अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

पृ0कमांक / /का0से0/अ0वि0अ0/24 रायपुर, दिनांक 16/08/2024

प्रतिलिपि–

1– कलेक्टर महोदय रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2– आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3– संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को सूचनार्थ ।
4– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत धरसीवां को सूचनार्थ अग्रेषित ।
5– सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सेजबहार विकासखंड धरसीवां को छ0ग0 ग्राम पंचायत (कालोनाईजर रजि0 निर्बधन तथा शर्ते) नियम–1999 के नियम–12 (चार) के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
रायपुर (छ0ग0)